

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की आई०पी०एम०सी०हाल जनसंघ में दिनांक 27-8-90 के क्रम में दिनांक 4-9-90 को मुख्य नगर एवं ग्राम्य निर्वाजक कार्यालय, लखनऊ से हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री रामशु नाथ	अध्यक्ष, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद।	अध्यक्ष
2-	कु० विभा पुरी	विशेष सचिव, वित्त । वित्त सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
3-	श्री सुभाष चन्द्र बहुाण्डी	संयुक्त सचिव, आवास । आवास सचिव के प्रतिनिधि।	सदस्य
4-	श्री जे०पी०भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम निर्वाजक	सदस्य
5-	श्री स्व०सत०चौरासिया	संबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल निगम	सदस्य
6-	श्री अनिल कुमार	आवास आयुक्त, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
7-	श्रीमती चन्द्रा निगम	सचिव/संयुक्त आवास आयुक्त उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद।	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न प्रदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकेत संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 23-6-90 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बचम/111/90	दिनांक 23-6-90 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2-	परिषद बैठक दिनांक 23-6-90 को अनुपालन आहवा।	बचम/121/90	दिनांक 23-6-90 को हुई परिषद बैठक में लिए गए निर्णयों को अनुपालन आहवा से परिषद को अवगत कराया गया।
3-	भागोश्री योजना बिजनौर में 50 नग टु आय वर्ग 18/40 प्रकार के भावनों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/131/90	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
4-	कानपुर स्थित योजना सं०-2 के वाह्य विधुतीकरण कार्य को बुनरी शिर्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।	बचम/141/90	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
5-	योजना सं०-3 हल्द्वानी में 21 नग अल्प आय वर्ग 26/40 प्रकार के भावनों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/151/90	-तदैव-

1	2	3	4
6-	परिषद की वारंभार योजना सं०-1, अडिआका में 16 नम टुकल आय वर्ग 18/40 प्रकार तथा 41 नम टुकल आय वर्ग 15/25 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/161/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
7-	चन्दासा योजना सं०-1 में 16 नम टुकलों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/171/90	-तटैव-
8-	इन्दिरा विस्तार योजना लानपुर में तेइसवीं हडकी परियोजना के अन्तर्गत 159 म०आ०व० 153/127 प्रकार के समीफिनिस्ट भावनों हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/181/90	-तटैव-
9-	मडोला योजना सं०-4 प्रथम चरण मरादाबाद में 16 नम स्वयं वित्त पोषित टाईप-3 157/108 प्रकार के समीफिनिस्ट भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/191/90	-तटैव-
10-	मडोला योजना सं०-4 मरादाबाद में 6 नम स्वयं वित्त पोषित टाईप 3 157/108 प्रकार के समीफिनिस्ट भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1101/90	-तटैव-
11-	परिषद की योजना सं०-1 लानपुर में प्रथम हडकी परियोजना के अन्तर्गत 200 नम म०आ०व० भावनों 43/120 प्रकार की पुनरीक्षण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1111/90	-तटैव-
12-	परिषद की नेहरुनगर योजना सं०-1 देहरादून में 4 नम उ०आ०व० वर्ग 93/176 प्रकार के समीफिनिस्ट भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1121/90	-तटैव-
13-	दूसरे चरणनगर योजना सं०-3 के अन्तर्-5 में परिषद परियोजना के अन्तर्गत 30 नम उ०आ०व० 93/176 प्रकार के समीफिनिस्ट भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1131/90	-तटैव-

1	2	3	4
14-	सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर-13 में 26वाँ हडको परिभाजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले 60 नग अल्प आय वर्ग 130/40वर्ग-26/60 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1141/90	परिष्ठाद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
15-	योजना सं०-1 चन्दावैती में 11 नग मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1151/90	-तदैव-
16-	योजना सं०-काशीपुर में 72 नग अल्प आय वर्ग 26/40 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1161/90	-तदैव-
17-	योजना सं०-1 कियछा में 36 नग मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1171/90	-तदैव-
18-	महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर में निर्मित होने वाले सौ नग मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1181/90	-तदैव-
19-	तालपुरा योजना, झाँसी में प्रस्तावित 60 नग अल्प आय वर्ग 29/80 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निर्गत करने के सम्बन्ध में।	बचम/1191/90	-तदैव-
20-	तालपुरा योजना, झाँसी में प्रस्तावित 33 नग अल्प आय वर्ग 18/40 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1201/90	-तदैव-
21-	इमरौली योजना मिर्जापुर में प्रस्तावित 5 नग दुकानों तथा 2 नग कियारके की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1211/90	-तदैव-
22-	मझोला योजना सं०-4 मुरादाबाद में 30 नग स्वयं वित्त पोषित टाइप प्रथम 193/176 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बचम/1221/90	-तदैव-
23-	प्रा.स. की रिंग रोड भूखण्ड वि.स. एवं महस्थान योजना गोरखपुर में भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित प्राप्ति करने के	बचम/1231/90	-तदैव-

1	2	3	4
24- गंगा नियंत्रण दैनिकल पार्ट-2 के सम्बन्ध में	बंघा/1241/90	अगली बैठक हेतु विद्यार्थी स्थापित साधा हो यह निर्णय हुआ कि इसे प्रबन्ध निदेशक जल निगम को भेजे दिया गया।	
25- परिषद योजनाओं में परिषद के प्रयोग हेतु आरक्षित भागों की आवश्यकता न रहने पर उसका निस्तारण।	बंघा/1251/90	परिषद ने विद्यार्थी-विद्यार्थी के उपरान्त निर्णय लिया कि सामान्यतः ऐसी सम्पत्ति का निस्तारण सीलाम बट्टाति द्वारा ही किया जाये।	
26- परिषद बूझोग से रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।	बंघा/1261/90	परिषद ने विद्यार्थी-विद्यार्थी के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि स्ट नं०-25 के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।	
27- परिषद में लेखा एवं लिपिकीय संघों के बूझाई करण पदाब्जति एवं सेवा विधायकियों।	बंघा/1271/90	परिषद ने विद्यार्थी-विद्यार्थी के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि निम्नलिखित समिति द्वारा इस पर विचार किया जाय और समिति की आज्ञा परिषद के समेत प्रस्तुत की जाय:-	<ol style="list-style-type: none"> 1- आवास आहुता। 2- लिपिका अधिकारिकता। 3- संयुक्त सद्विभागावस विभाग। 4- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक। 5- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम।
28- परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम की आवंटित भूमि के विस्तार उनके द्वारा जमीन धारणार्थी की तापसों के सम्बन्ध में।	बंघा/1281/90	परिषद द्वारा विद्यार्थी-विद्यार्थी के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवास आहुता द्वारा नियमानुसार कर्तव्य करके धारणार्थी कोषित कर दी जाय।	
29- कानपुर स्थित विश्वान्न योजनाओं में किये गये विकास कार्यों/ निर्माण कार्यों में व्ययत अवसरताओं के सम्बन्ध में।	बंघा/1291/90	परिषद द्वारा विद्यार्थी-विद्यार्थी के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा अध्यक्ष I.M.O. को अधीक्षण अधिकता से सम्बन्ध मामलों में जॉब अधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया। गंगा गांगलों में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जिस जित स्तर पर विभागीय कार्यवाही करनी है उस-उस स्तर पर कार्यवाही की जाये।	
30- हरद्वार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बलिया में नं० 56, 57, 58 श्री जगन्नाथ के प्लॉट में अर्जनयुक्त किये जाने के संबंध में।	बंघा/1301/90	परिषद ने विद्यार्थी-विद्यार्थी के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित सदस्यों को एक समिति गठित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया:-	<ol style="list-style-type: none"> 1- आवास आहुता के प्रतिनिधि। 2- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के प्रतिनिधि। 3- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के प्रतिनिधि।

यह समिति स्थान को निरीक्षण कर अपनी आख्या परिषद को प्रस्तुत करेगी।

1	2	3	4
31-	रजदेवपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजीपुर में श्री अब्दुल रज्जाक की भूमि कासरा सं०-154 में से शार्त्तनादेश के अन्तर्गत कब्रों एवं मजारों की भूमि 1.10 एकड़ को योजना में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1311/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न-लिखित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया:- 1- आवास आयुक्त के प्रतिनिधि। 2- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के प्रतिनिधि। 3- प्रबन्ध निदेशक जल निगम के प्रतिनिधि। यह समिति स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या परिषद को प्रस्तुत करेगी।
32-	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 देहरादून में समाविष्ट ग्राम जोखाने राजपुर रोड के कासरा नं०-284/1 तथा 285/1 की भूमि छोड़ जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1321/90	-तदेव-
33-	आवास परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लुगानऊ में स्थित ग्राम इस्माइलगंज के कासरा नं०-308 1 पर बने निर्माणों को अज्ञेयकृत कर योजना में समायोजन करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1331/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न-लिखित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया:- 1- आवास आयुक्त के प्रतिनिधि। 2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि। 3- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के प्रतिनिधि। यह समिति स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या परिषद को प्रस्तुत करेगी।
34-	परिषद की श्रेतियाहाता पर्वी योजना गोरखपुर में 500 वर्गमीटर का एक भूखण्ड नियमानुसार मूल्य प्राप्त कर विधायक श्री हरी शंकर तिवारी को आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1341/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नियोजन की दृष्टि से अपरिहार्य की दृष्टि रहते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है परन्तु यह मामला दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
35-	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-5 बरेली के सम्बन्ध में।	पंचम/1351/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना का परित्याग कर दिया जाय।
36-	रामपुर विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-4, रामपुर के सम्बन्ध में।	पंचम/1361/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न-लिखित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया:- 1- आवास आयुक्त के प्रतिनिधि। 2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि। 3- प्रबन्ध निदेशक जल निगम के

1	2	3	3
			का निरीक्षण कर अपनी आख्या परिषद को प्रस्तुत करेगी।
37-	परिषद की पठानपुर भूमि विचार एवं गृहस्थान योजना सं०-2 सैहारनपुर में समरकित श्री सुलतान अदतर की भूमि को अर्जनगुप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1371/90	-तदैव-
38-	अर्जनगुप्त भूमि का भा-प्रयोग बदले जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1381/90	परिषद ने विचार विभाग के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पहले प्राचीन भा-प्रयोग बदलने के विषय में रासन की अनुमति ले। फिर मामला परिषद के समक्ष प्रस्तुत हो।
39-	विमल इन्टरप्राइजेज मेरठ को भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1391/90	परिषद ने विचार-विभाग के उपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक के लिए विचाराधीन स्थापित किया।
40-	आवास परिषद द्वारा प्रस्तावित कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 कानपुर में रिहायश एलिम्बो सहकारी आवास समिति कानपुर द्वारा कृष की गई भूमि को अर्जनगुप्त करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1401/90	परिषद द्वारा विचार-विभाग के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि को स्थिति के पूरा में अर्जनगुप्त किये जाने का औचित्य नहीं है।
41-	श्री भवान प्रताप सिंह, भातपर्व सैन्ड सदस्य एवं विधीन सभा सदस्य की योजना सं०-4 बरेली में निर्मित 9 रुध्व आय वर्ग भावनों में से भूतल का एक भावन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1411/90	परिषद ने विचार विभाग के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अस्वीकार किया कि निर्धर्मों में ऐसा आविधान नहीं है।
42-	परिषद की सिकन्दरा योजना, अग्ररा में पर्याप्त पेय जल उपलब्ध न होने के कारण भावन निर्माण हेतु जल शालक में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1421/90	परिषद ने विचार विभाग के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ शालक न लिया जाए। परन्तु जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ शालक लिया जाय। जिस दिन से पानी की व्यवस्था हो जाय शालक लिया जाय। यह व्यवस्था फिलहाल 1-9-90 से 31-8-91 तक के लिए लागू रहेगी। उसके बाद यह मामला पुनः यह परिषद के समक्ष रखा जाय।
43-	आवासीय भावन परिकल्प कोष की स्थापना।	पंचम/1431/90	परिषद ने विचार विभाग के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया।
44-	परिषद हेजेटारों की लिस्टिंग प्रणाली में सूची बदलाव हे. गाइड लाईन्स।	पंचम/1441/90	परिषद ने विचार विभाग के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया।

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--------------|--|
| 46- | श्रेणी योजना सं०-3
इलाहाबाद में टुकड़े से वापस
के विकास हेतु योजना के
बीच दो में अर्जन मुक्त
भूमि एवं परिषद भूमि
के आवास प्रदान के संबंध
में। | पंचम/1461/90 | परिषद ने विचार विमर्श के
उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न
लिखित निर्णय लिया:—
1-जो भूमि छोड़ी गई थी
उसका पक्का आवास था।
2-सहकारी आवास अभियंता
को भूमि का ली गई है वह
अब की गई थी तथा
वह भूमि खाली है जो अर्जन
से मुक्त की गयी थी।
3-जो भूमि अर्जन से मुक्त की गयी
उसी भूमि को सहकारी
अभियंता द्वारा सित आवास
पर राखी जाये।
सम्मति सम्मानों के साथ
उपरोक्त परिषद के समक्ष
प्रस्तुत की जाय। |
| 47- | कमलानगर योजना
आगरा में उपलब्ध
लगभग 1485-26
वर्गमीटर भूमि का भाण्ड
के रूप में अथवा बहुमंजिले
भावन बनाकर आवंटित
करने के सम्बन्ध में। | पंचम/1471/90 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरांत
निर्णय लिया कि कमलानगर
योजना आगरा में 6 रिक्त
भाण्डों पर बहुमंजिले भावन
बनाये जाय। |
| 48- | परिषद के विन्तीय
संसाधनों में सुदृढ़ा हेतु
गठित समिति की संस्तुतियाँ। | पंचम/1481/90 | परिषद ने विन्तीय संसाधनों
की सुदृढ़ा हेतु गठित समिति
की संस्तुति अंगीकार की। |
| 49- | आरक्षित श्रेणी के
व्यावसायिक भाण्डों
एवं दुकानों को समान श्रेणी
के मध्य नीलाभी करने के
सम्बन्ध में। | पंचम/1491/90 | परिषद ने विचार-विमर्श के
उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव
अनुमोदित किया। |
| 50- | श्रीमती मालती सिंह एवं
परिषद के मध्य माननीय
उच्च न्यायालय से जिला
न्यायालय में चल रहे वाद
में मुलह किया जाने हेतु
दिप्यणी। | पंचम/1501/90 | यह प्रस्ताव परिषद की अगली
बैठक में लिए विचारार्थ स्थागित। |
| 51- | कार्य प्रभावित बिजली
मिटरों के वेतनमान
पुनरीक्षित कराए जाने
के सम्बन्ध में। | पंचम/1511/90 | परिषद ने विचार विमर्श के
उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय
लिया कि यह बात कर लिया जाय
कि जिन बिजली मिटरों को
400-615 का वेतनमान मिल रहा
है उनकी शीटिंग योग्यता एवं
अनुभाव क्या है तथा जिन
मिटरों को वेतनमान 315-440
मिल रहा है उनकी शीटिंग
योग्यता एवं अनुभाव क्या है। |

1	2	3	4
52- उप निदेशक उद्यान पद के नियुक्ति प्राधिकारी को 50 दिनों के अन्दर के सम्बन्ध में।	पंचम/1521/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि इस पद के लिए सेवा विनियमावली बनाई जाये।	
53- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद के सृजन के सम्बन्ध में।	पंचम/1531/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव का गृहणार्थ से अध्ययन आवश्यक है और इसको परिषद के "फाइनल स्टैट्यूट" के विस्तार से देखना जाना चाहिये।	
54- स्टाफ के आकाश आयुक्त सेवा विनियमावली में संशोधन।	पंचम/1541/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया।	
55- गाजियाबाद शहर में सम्बन्धित पंजीकरण कार्य मुख्यालय में विकेंद्रीकृत करके सम्बन्धित प्रबन्ध अधिकारी गाजियाबाद को दिये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1551/90	-तदैव-	
56- सर्व वित्त पोषित योजना की शर्तों सामान्य श्रेणी की योजना में व्याज टण्ड व्याज की छूट देने के सम्बन्ध में।	पंचम/1561/90	-तदैव-	
57- रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 मजफ्फरनगर के विकास कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1571/90	-तदैव-	
58- परिषद की इन्दिरानगर योजना देहरादून में आईटी योजना को आवंटित 84.50 एकड़ भूमि के बकाया कामकाज पर टण्ड व्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1581/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त आईटी/वीपी/वीपी/वीपी पर लगे टण्ड व्याज को हटाकर पर माफ किया कि एक लक्ष भूगर्भ की प्रकिया दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर तय हुआ था और दूसरे यह कि आईटी/वीपी/वीपी/वीपी पर सरकार को एक वेरा मिलती फोर्स है।	
59- परिषद की लखनऊ योजना गाजियाबाद में आर्टीस्ट बिल्डिंग हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1591/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वेकि हड़गा बंदरा आर्टीस्ट बिल्डिंग के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूमि ली जा रही है। अतः परिषद ने भी उसी के लिए अब कटौत भूमि की आवश्यकता न रह गयी होइइसी से स्थिति स्पष्ट कर ली जाये।	
60- श्री डी०डी० बहमणा का सेल्स फाईनैन्सिंग स्कीम में सुविधा दिये जाने	पंचम/1601/90	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	

1	2	3	4
61- परिषद द्वारा दूआठ व 0 एवं अ.अ.0.0.0 के भावनों में सहायक भूमि के मूल्य पर दर 30 प्रति 100 व 15 प्रति 100 की छूट के सम्बन्ध में।	पंचम/1611/90	परिषद ने विचार विधार्मि के उपरान्त यह निर्णय लिया कि छूट का लाभ केवल एक बार ही मिलना चाहिए।	
62- परिषद की इन्दिरानगर योजना के अन्तर्गत श्री ए.0.पी.0 सिंह, आर्.ए.एस.0 को भावन 1E/453 के बदले भावन स.0-304 आवंटित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1621/90	यह प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थापित।	
63- परिषद की पठानपुरा योजना स.0-5 सहारनपुर में माननीय सांसद सदस्य श्री यशपाल सिंह वाधारी को आवंटित भा.ए.ए.0 स.0-115 पर लगाने गये टैण्ड लगाव एवं सरचार्ज के सम्बन्ध में।	पंचम/1631/90	परिषद ने विचार विधार्मि के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री यशपाल सिंह वाधारी माननीय सांसद सदस्य का अनुरोध निधमानुसार स्वीकार करने सम्भव नहीं है।	
64- विकल्प परिवर्तन शुल्क एवं श्रेणी परिवर्तन शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1641/90	यह प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थापित।	
65- इन्दिरानगर योजना के सेक्टर-6 में निर्मित बहुआयडीय भावनों में अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में।	पंचम/1651/90	परिषद द्वारा विचार विधार्मि के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने अनुमिानुसृत निर्माण कर लिया है उनके विस्तृत विधि कार्रवाई की जाये।	
66- आवस परिषद की ओबरी भूमि सुकास एवं गृहस्थान योजना स.0-3 में स्थित श्री आर.ए.एस.0.0.0.0.0.0 की भूमि वासरा स.0-339 ग्राम ओबरी के सम्बन्ध में।	पंचम/1661/90	परिषद ने विचार विधार्मि के उपरान्त प्रस्ताव का निम्न पत्रिकाओं के साथ अनुमोदन किया। 1- अर्जनमुक्त की जाने वाली भूमि का विकास शुल्क लिया जायेगा। 2- श्री शर्मा अपनी रिट याचिका वापस लें। 3- अर्जनमुक्त की जाने वाली भूमि का प्रतिबर इन्हे देय नहीं होगा। 4- अर्जनमुक्त करने के लिये मामला शासन को संदर्भित किया जायेगा।	
67- परिषद ने विवादों की मा.प्रस्ताव करने के लिये निष्कृत किये गये मध्यस्थों को शासन के अन्य विभागों के साजसुमानदेय की दर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम/1671/90	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।	
68- भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना स.0-4 काशीपुर की धारा का प्रस्ताव एवं प्रायकलन।	पंचम/1681/90	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया। साथ ही परिषद ने यह भी निर्देशा दिया कि यह देखा जाये कि इस योजना में क्या सीवर को काशीपुर की सीवर लाइन में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि काशीपुर में सीवर उपलब्ध है।	
69- इन्दिरानगर योजना सावनक में विहाला शिवा सुदन के पदा में सेक्टर-3 में प्रदित 1.60 एकड़ भूमि	पंचम/1691/90	परिषद द्वारा विचार विधार्मि के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	

1	2	3	4
70- श्री कृष्णल कृष्णदेव, मध्य- रीक्षण अधिकाारी, मुख्यालय की धारापेरीली निम्न एवं एपेन्डिकस के आधेयान एवं उसकी विकिपसा पर किये गये खय रु० 7,493.95 पसा की प्रातिपूति के सम्बन्ध में।	पंचम/1701/90	परिषद ने विचार विमर्श के अपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।	
71- परिषद की इन्टिरोन्गर योजना लान्ड के इन्टर-6 के बारे में भारतीय सभिति की सापुदाधिक केन्द्र सांस्कृतिक स्वयं सहायिक सभिति आवेदित करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1711/90	परिषद ने विचार विमर्श के अपरान्त यह निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित समिति विचार कर अपनी संज्ञाति परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी:- 1- मुख्य नगर एवं ग्राम वि रोड 2- मुख्य आस्वविद् मिहोजक आगास परिषद। 3- सम्बन्धित उप अरनाह आगत	यह समिति गृह विभाग के उक्त आसनादेशी की भरी देना में जितने सह कदा गया है कि कोई नईपदाति। प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
72- सिकुन्तरा योजना आगरा के इन्टर-13 में 26वीं हडको परिषदजन के अन्तर्गत 323 अ०आ०व० 19/4 प्रकार के भावनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1721/90	परिषद ने विचार अपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।	
73- हाथारम योजना सं०-1 हाथारम में 21 अ०आ०व० 53/127 अरि प्रकार के भावनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1731/90	-तदैव-	
74- परिषद की वीरभद्र योजना सं०-1 अधिकाेश में प्रस्तावित 30 नम 156/121 प्रकार के मध्यम आय वर्ग भावनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1741/90	परिषद ने विचार विमर्श के अपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।	
75- पहलाटपरी योजना हरदोडे में 100 नम अ०आ०व० 18/30 प्रकार के भावनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1751/90	-तदैव-	
76- योजना सं०-1 विष्णु में 100 नम अ०आ०व० 18/30 प्रकार भावनो की परीक्षा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1761/90	-तदैव-	
77- योजना सं०-1 शटीमा में निर्माण हेतु प्रस्तावित 8 नम 53/127 प्रकार के अ०आ०व० भावनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1771/90	-तदैव-	

1	2	3	4
	नम 20आओवओ 29/60 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।		
79-	किछवा योजना में 108 नम 20आओवओ 16/30 प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1791/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
80-	योजना सं०-1 छाटोवा में निर्माण हेतु प्रस्तावित 20 नम 29/60 प्रकार के अन्य आद्य वर्ग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1801/90	-तदैव-
81-	दौगोर नगर योजना पीलीभीत में 20 नम 20आओवओ 29/60 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1811/90	-तदैव-
82-	योजना सं०-2 सिविल लाइन्स रामपुर में स्वयं वित्त पोषित टाऊन-2 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1821/90	-तदैव-
83-	दिल्ली मार्ग योजना सं०-10 भेरठ के सेक्टर-1 में प्रथम डेको परियोजना के अन्तर्गत 222 नम 12/23 प्रकार 20आओवओ भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	पंचम/1831/90	परिषद ने विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
84-	नेहरुवाड़ी योजना सं०-1, देहरादून में स्वयं वित्त पोषित सिविल लाइन्स परियोजना-85 के अन्तर्गत 3 नम 95/226 टाऊन-1 भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1841/90	-तदैव-
85-	दौगोर नगर योजना पीलीभीत में 14 नम 20आओवओ-53/127 प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1851/90	-तदैव-
86-	योजना सं०-3 रामपुर में उच्च आय वर्ग 95/253 प्रकार सिविल लाइन्स भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1861/90	-तदैव-
87-	योजना सं०-2 सिविल लाइन्स रामपुर में स्वयं वित्त पोषित टाऊन-2 168/142 प्रकार सिविल लाइन्स भवनों का निर्माण 1988 के अन्तर्गत 1 भवन तथा वर्षा-1989 के अन्तर्गत 6 भवन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1871/90	परिषद ने विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

1

2

3

4

- 88- योजना सं०-3 काठपुर
 • सं० 66 नं० 29/60 पुरकार
 के अन्तर्गत भावना जी
 पत्ररीक्षित प्रभागलनिष्ठ
 एवं वित्तीय स्वीकृति
 निर्गत करने के सम्बन्ध में।
- 89- शार्वजनिक उपकरणों की
 उत्पादकता तथा निधियों
 की उपलब्धता के बीच
 समन्वय एवं राज्य सहायता
 की स्वीकृति के नई प्रक्रिया
 के सम्बन्ध में।
- 90- परिषद की जीएल रोड
 • योजना सं०-7 अलीगढ़ में
 12.19 मीटर रोड पर
 पुरानी आबादी तथा मकानों
 सं०-18 के मध्य उपलब्ध \$66.795
 करोड़ भाूमि को माउन्टिग्राउण्ड
 की बृजेंद्र सिंह को आवंटित
 करने के सम्बन्ध में।
- 91- आवास परिषद की
 गाज़ियाबाद योजना सं०-3
 गाज़ियाबाद में सगा क्लब
 रोडनगर कर्मचारी आवास
 समिति लि० गाज़ियाबाद।
- 92- जनता युवा मंच में परिषद
 • द्वारा ₹ 35.00 लाख व्यय
 के स्थानान्तरण हेतु कार्य-
 1990-91 के आय-व्यय के
 प्रावधान।
- 93- परिषद के वार्षिक लेखों
 • के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।
- 94- परिषद की विभिन्न
 योजनाओं में शिक्षण
 संस्थाओं को भाूमि
 आवंटित किये जाने के
 सम्बन्ध में।
- 95- परिषद में अधीक्षण
 अभियन्ताओं के रिक्त पदों
 को पदोन्नति से भरे जाने
 के सम्बन्ध में।
- पंचम/1891/90
- पंचम/1894/90
- पंचम/1901/90
- पंचम/1911/90
- पंचम/1921/90
- पंचम/1931/90
- पंचम/1941/90
- पंचम/11951/90
- परिषद ने विचार-विचारान्त
 प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- परिषद द्वारा मुख्य सचिव के
 पत्र दिनांक 18 अप्रैल-1990 के तहत
 महाराष्ट्र राज्य सहायता की स्वीकृति
 की नई प्रक्रिया नोट की गयी।
- परिषद द्वारा विचार-विचार
 के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय
 लिया गया कि सम्बन्धित लेख
 का मानचित्र प्रस्तुत किया जाय।
- परिषद ने विचार-निर्णय के
 उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय
 लिया कि गाज़ियाबाद योजना
 सं०-3 में रोडनगर कर्मचारी
 आवास समिति लि० गाज़ियाबाद
 में पदों में भाूमि आवंटित किये
 जाने का औचित्य नहीं है।
- परिषद ने विचार-निर्णय के
 उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव
 का अनुमोदन किया।
- परिषद वार्षिक लेखों के
 सम्बन्ध में दी गयी दिशानिर्देश से
 अवगत हुई।
- परिषद ने विचार-निर्णय के
 उपरान्त शिक्षण संस्थाओं की
 परिषद की योजनाओं में भाूमि
 देने के सम्बन्ध में संश्लिप्त समिति की
 संसूचि दिनांक 8-6-90 को इस
 स्वीकृति के साथ अनुमोदित
 किया गया कि कर्मचारी आवास
 आगरा में शिक्षण संस्थाओं हेतु
 उपलब्ध भाूमि को सुश्रित राइल
 रोडल एगोरियल हाइस्कूल को भाूमि
 दिये जाने पर समिति के निर्णय
 करें। परिषद द्वारा निर्णय को
 शेष संसूचितियों अनुमोदित नो गये।
- परिषद ने विचार-निर्णय के
 उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का
 अनुमोदन किया। साथ ही यह
 भी निर्णय लिया कि इसी प्रकार
 अधीक्षण अभियन्ता के पदों
 का अनुसंधान जाति/जनजाति के
 अस्पर्धियों से भरणे के लिए नियमों
 को शिक्षण विभाग और यह
 शिक्षण विभाग अधीक्षण
 अभियन्ता सेवा नियमावली के
 विभाग-28 के तहत परिषद

1	2	3	4
96-	परिषद के अधिकाधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1989-90 के लिए अनुग्रह धानराशिया के भुगतान के सम्बन्ध में।	पंचम/1961/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
97-	राजस्व विभाग के लिए तहसीलों में अनावस्यय एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	पंचम/1971/90	-तटैट-
98-	बड़सर योजना प्रोड्युक्ट में स्थानीय उत्पादन बनाने के लिये विजित्सा विभाग को 15 एकड़ भूमि देने के सम्बन्ध में।	पंचम/1981/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
99-	बसुन्दारा योजना गौजियाबाद में परिषद अतिरिक्त गृह निर्माण करने के सम्बन्ध में।	पंचम/1991/90	-तटैट-

30/11/91
3.1.91